Title: Need to confer Patta right on the SCs cultivating forest land in Sonebhadra district, UP-Laid.

श्री रामशकल (राबर्टसगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्टसगंज जनपद सोनभद्र उ0प्र0 में 80 प्रतिशत अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। यह एक अति पिछड़ा जिला है, जहां भारत सरकार तथा निजी क्षेत्र की बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं तथा इस परियोजना से विस्थापितों को न तो उचित मुआवजा मिला है और न ही वहां की परियोजनाओं में उन्हें नौकरी मिली। पन्द्रह-बीस वर्ो से वे कृि योग्य वन भूमि पर खेती कर रहे हैं। अभी तक भौमिक अधिकार नहीं मिला। वन विभाग धारा 20 तथा धारा 04 के अधीन पट्टा नहीं दे रहा है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि कृि योग्य वन भूमि पर जो 20 वर्ो से कब्जा है, उन्हें कानून बनाकर भौमिक अधिकार तथा पट्टा दिलाने का कट करें।